>

Title: The Minister of Rural Development laid statement regarding status of implementation of recommendations contained in 27th Report of Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2007-08), pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्री (डा रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं यह वक्तव्य, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क, जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के सताइसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का सताइसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 14 मई, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में 34 सिफारिशें शामिल हैं। समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाई की रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 27.8.2007 को भेजी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यत: भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, वाटरशेड विकास के संबंध में नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत/अद्यतन करने तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायो-ईंधन योजना को शुरू करने से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

- Laid on the Table and also placed in Library See No. LT-8301/08.